न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 83/2021

1 कर्मपाल पुत्र सुमेर सिंह जाति जाट निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 परमेश्वरी पुत्री प्रहलाद पत्नी विधाधर जाति जाट निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू हाल निवासी बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 सुमन पत्नी सुरेश कुमार।
3 सुमन पत्नी प्रदीप कुमार।
4 सरिता पत्नी संजय समस्त जाति जाट निवासीगण सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5 प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
6 उप पंजियक अधिकारी उप पंजियक कार्यालय चिड़ावा जिला झुंझुनू।
7 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ आदेश बअदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी परमेश्वरी बनाम कर्मपाल सिंह मुकदमा नम्बर 16/2021 निर्णय दिनांक 03.09.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री संदीप बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश श्योराण, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री अवधेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 11.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 16/2021 में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अदालत मातहत के यहां अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 के विरूद्व जमीन हाल खसरा नम्बर 648 रकबा 1.48, खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.21 है. व खसरा नम्बर 1269 रकबा 1.43 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.12 है. सरहद ग्राम सुलताना के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 03.09.2021 को निर्णित कर स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों घटकों के अनुसार विवेचन नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 न तो खातेदार है न ही मौके पर काबिज है। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि सम्मत नहीं है। विवादित भूमि पूर्व में विभाजित हो चुकी है। अब पैतृक भूमि नहीं है। इसके अभाव में विचारण न्यायालय द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का पूर्वज दिलसुख था। यह भूमियां दिलसुख की थी। विधि अनुसार विरासत से प्रार्थीया का विवादित भूमि में हिस्सा मूलवाद में तय होना शेष है। इससे पूर्व रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा यदि विवादित भूमि को खुर्दबुर्द कर दिया जाता है तो इससे प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट को अपूरणीय क्षति होगी एवं पक्षकारों में वाद बाहुल्यता होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में वाद के निर्णय पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का पूर्वज दिलसुख था। यह भूमियां दिलसुख की थी। विधि अनुसार विरासत से प्रार्थीया का विवादित भूमि में हिस्सा मूलवाद में तय होना शेष है। इससे पूर्व रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा यदि विवादित भूमि को खुर्दबुर्द कर दिया जाता है तो इससे प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट को अपूरणीय क्षति होगी एवं पक्षकारों में वाद बाहुल्यता होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में वाद के निर्णय पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर